

वाद पत्र संख्या - 56/23

क्र. सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	05.06.2023	<p>वकील वादी ने वाद पत्र प्रस्तुत किया जिस पर रिपोर्ट सरिस्ता प्राप्त की गई। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर वास्तविक प्रतिवादीगण होकर पत्रावली दिनांक 5/7/23 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी कोटपूतली (जयपुर)</p> <p>5/7/23 पत्रावली 310 पेश हुआ अधिवक्ता वादी 390/ पं. नं. 10/11/23 अधिवक्ता वादी न अर्चना - पत्र प्रस्तुत में निवेदन किया कि प्रमाण के पक्षवाले के मध्य रामिनामों के जंपा के अब उक्त प्रमाण के बाद वास्तविक नहीं चाहत है तथा प्रमाण के कारण प्रमाण में अर्चना में इतना उक्त वास्तविक वादी का वाद कारण किया जाता है वास्तविक निर्णय हुआ है कि (न) नए है वह ही</p>	

उपखण्ड अधिकारी
कोटपूतली (जयपुर)